कम्प्यूटर- परिपत्र सं० 1415092 दिनांक 12-11-2014

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-03/स0प0/13-14 /टैक्स-आडिट / 2114 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 11 नवम्बर,2014

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के संज्ञान में इस आशय के तथ्य आये है कि टैक्स आडिट हेतु चयनित ऐसे व्यापारियों के प्रकरणों में भी कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी की जा रही है जिनकी लेखापुस्तकें एवं उनके द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित खरीद बिक्री / करदेयता सही पायी गयी है, जो उचित नही है एवं टैक्स आडिट मैनुअल के प्राविधान के विपरीत है।

टैक्स आडिट के मैनुअल अध्याय-6 के प्रस्तर-1 में टैक्स आडिट सम्पन्न होने के उपरान्त कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही के बिन्दु-3 में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित है:-

" यदि आडिट रिर्पोट में व्यापारी की लेखापुस्तकें एवं उनके द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित खरीद बिक्री व करदेयता सही पायी जाती है तो ऐसे मामलों में व्यापारी को कोई नोटिस नही भेजी जायेगी तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-7 में उल्लिखित प्रोफार्मा में कर निर्धारण आदेश पारित कर व्यापारी को भेज दिया जायेगा "।

उपर्युक्त से स्वत: स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-7 में उल्लिखित प्रारुप में व्यापारी की लेखापुस्तके एवं करदेयता स्वीकार करते हुए बिना कोई नोटिस जारी किये हुए संगत वर्ष का कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना है।

अत: आपसे अपेक्षित है कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित कर दें तथा निरीक्षण के समय भी इस तथ्य का संज्ञान लें कि कहीं टैक्स आडिट स्तर पर व्यापारियों की लेखापुस्तकें एवं उसके द्वारा वार्षिक रिटर्न में घोषित खरीद बिक्री व करदेयता सही पाये जाने पर भी कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण करने से पूर्व ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी कर उनका उत्पीड़न तो नही किया जा रहा है।

उपरोक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10.11.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।